"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2016—चैत्र 19, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहिषा गुप्ता आत्मजा श्री गजानन्द गुप्ता, उम्र 32 वर्ष, निवासी-कवर्धा, पोष्ट, थाना व तहसील कवर्धा जिला कबीरधाम (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा जन्म नाम कु. सपना गुप्ता आत्मजा श्री गजानन्द गुप्ता रहा है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मोहिषा गुप्ता रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे मोहिषा गुप्ता आत्मजा श्री गजानन्द गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सपना गुप्ता
आत्मजा श्री गजानन्द गुप्ता
निवासी-ठाकुराइन वार्ड, हरदेव लाल मंदिर
वाली गली, कवर्धा
जिला कबीरधाम (छ. ग.) 491-995

नया नाम

मोहिषा गुप्ता
आत्मजा श्री गजानन्द गुप्ता
निवासी-ठाकुराइन वार्ड, हरदेव लाल मंदिर
वाली गली, कवर्धा
जिला कबीरधाम (छ. ग.) 491-995

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आनंद राव मड़ामें पिता स्व. कारू दास मड़ामें, उम्र 50 वर्ष, जाति महार, निवासी-क्वा. नं. 25 बी, सड़क-5, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम Anand Rav Madame दर्ज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम Anand Rao Madame है जो मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम आनंद राव मड़ामें (Anand Rao Madame) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे आनंद राव मड़ामें (Anand Rao Madame) पिता स्व. कारू दास मड़ामें के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
आनंद राव मड़ामें (Anand Rav Madame) पिता स्व. कारू दास मड़ामें निवासी- क्वा. नं. 25 बी, सड़क-5, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	आनंद राव मड़ामें (Anand Rao Madame) पिता स्व. कारू दास मड़ामें निवासी- क्वा. नं. 25 बी, सड़क-5, सेक्टर 2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अर्नव विकाश (Arnav Vikash) पिता श्री संतोष त्रिपाठी, निवासी-मकान नं.-11, सेक्टर-2, गीतांजली नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम विकास त्रिपाठी पिता श्री संतोष त्रिपाठी दर्ज है जो सही व सत्य है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अर्नव विकाश रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अर्नव विकाश पिता श्री संतोष त्रिपाठी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
विकास त्रिपाठी (Vikas Tripathi) पिता श्री संतोष त्रिपाठी (Santosh Tripathi) निवासी- मकान नं.-11, सेक्टर-2, गीतांजली नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	अर्नव विकाश (Arnav Vikash) पिता श्री संतोष त्रिपाठी (Santosh Tripathi) निवासी- मकान नं.-11, सेक्टर-2, गीतांजली नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष कुमार धुरन्धर पिता स्व. गजानंद धुरन्धर, उम्र 58 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 9/ए, सड़क नं.-एवेन्यू-सी, सेक्टर 2, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड, मेरा नाम संतोष कुमार अंकित है तथा मेरे अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम संतोष कुमार धुरन्धर अंकित है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "धुरन्धर" जोड़कर नया नाम संतोष कुमार धुरन्धर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संतोष कुमार धुरन्धर पिता स्व. गजानंद धुरन्धर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
संतोष कुमार पिता स्व. गजानंद निवासी- क्वा. नं. 9/ए, सड़क नं.-एवेन्यू-सी, सेक्टर 2, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	संतोष कुमार धुरन्धर पिता स्व. गजानंद धुरन्धर निवासी- क्वा. नं. 9/ए, सड़क नं.-एवेन्यू-सी, सेक्टर 2, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति तारा धुरन्धर पति श्री संतोष कुमार धुरन्धर, उम्र 55 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 9/ए, सड़क नं.-एवेन्यू-सी, सेक्टर 2, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम तारा धुरन्धर अंकित है जो सही व सत्य है. परन्तु मेरे पति श्री संतोष कुमार धुरन्धर के भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम तारा बाई धुरन्धर दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम तारा धुरन्धर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति तारा धुरन्धर पति श्री संतोष कुमार धुरन्धर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
तारा बाई धुरन्धर पति श्री संतोष कुमार धुरन्धर निवासी- क्वा. नं. 9/ए, सड़क नं.-एवेन्यू-सी, सेक्टर 2, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमति तारा धुरन्धर पति श्री संतोष कुमार धुरन्धर निवासी- क्वा. नं. 9/ए, सड़क नं.-एवेन्यू-सी, सेक्टर 2, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मिधुराम उर्फ सुखराम आत्मज आशा राम साहू, जाति तेली, आयु 58 वर्ष, निवासी-ग्राम मोहबा, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक नाम मिधुराम साहू है तथा मैं इसी प्रचलित नाम से जाना व पहचाना जाता हूं तथा मेरे समस्त दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, घरेलू बिजली बिल में मेरा नाम मिधुराम साहू लिखा हुआ है जबकि मेरे नाम हक व स्वामित्व में ग्राम मोहबा, प. ह. नं. 20 तहसील व जिला राजनांदगांव के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम त्रुटिवश सुखराम आ. आशा राम साहू दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मिधुराम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मिधुराम साहू आ. आशा राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुखराम साहू आ. आशा राम साहू निवासी- ग्राम मोहबा, रा. नि. मं. राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)	मिधुराम साहू आ. आशा राम साहू निवासी- ग्राम मोहबा, रा. नि. मं. राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूपसिंह साहू आत्मज श्री सुखीतराम साहू, उम्र 54 वर्ष, निवासी-आर्यनगर कोहका भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रूपसिंह लिखा हुआ है लेकिन मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंकखाता में मेरा पूरा नाम रूपसिंह साहू लिखा हुआ है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "साहू" जोड़कर नया नाम रूपसिंह साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रूपसिंह साहू आ. श्री सुखीतराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रूपसिंह आ. स्व. सुखीतराम साहू निवासी-आर्यनगर कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	रूपसिंह साहू आ. स्व. सुखीतराम साहू निवासी-आर्यनगर कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 16 मार्च 2016

क्रमांक/उप. पं. म./परि./2016/317.—प्राथमिक मनोरमा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई महिला सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द पं. क्र. 624, दिनांक 28-01-2008, विकासखंड व जिला महासमुन्द को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/1175 दिनांक 07-12-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं, एम. एस. दीवान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक मनोरमा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई महिला सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द पं. क्र. 624 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. एल. चन्द्राकर, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 16 मार्च 2016

क्रमांक/उप. पं. म./परि./2016/318.—प्राथमिक बचत साख सहकारी समिति मर्या. छिंदौली पं. क्र. 635, दिनांक 20-07-2009, विकासखंड व जिला महासमुन्द को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/1176 दिनांक 07-12-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं, एम. एस. दीवान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक बचत साख सहकारी समिति मर्या. छिंदौली पं. क्र. 635 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पी. के. मेश्राम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 16 मार्च 2016

क्रमांक/उप. पं. म./परि./2016/319.—प्राथमिक महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द पं. क्र. 599, दिनांक 31-12-2005, विकासखंड व जिला महासमुन्द को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/1177 दिनांक 07-12-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं, एम. एस. दीवान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द पं. क्र. 599 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. एल. चन्द्राकर, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 16 मार्च 2016

क्रमांक/उप. पं. म./परि./2016/320.—छ. ग. विकास साख सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 663, दिनांक 21-05-2013, विकासखंड व जिला महासमुन्द को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/785 दिनांक 17-08-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं, एम. एस. दीवान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. विकास साख सहकारी समिति मर्या. घोड़ारी पं. क्र. 663 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एम. लाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 16 मार्च 2016

क्रमांक/उप. पं. म./परि./2016/321.—शहीद वीर नारायण बचत साख सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द पं. क्र. 522, दिनांक 21-04-2003, विकासखंड व जिला महासमुन्द को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/784 दिनांक 17-08-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं, एम. एस. दीवान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् शहीद वीर नारायण बचत साख सहकारी समिति मर्या. महासमुन्द पं. क्र. 522 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन. एल. टण्डन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

महासमुन्द, दिनांक 16 मार्च 2016

क्रमांक/उप. पं. म./परि./2016/322.—प्राथमिक हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्या. लाखागढ़ पं. क्र. 79, दिनांक 28-03-1983, विकासखंड पिथौरा जिला महासमुन्द को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपपम/परि./2015/1184 दिनांक 07-12-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु निर्धारित समयसीमा में समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं, एम. एस. दीवान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, महासमुन्द छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्राथमिक हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्या. लाखागढ़ पं. क्र. 79 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मधूकर श्याम हरित, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

एम. एस. दीवान,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.